FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

गजाराम वगैरा बनाम मूलाराम वगैरा।

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RTA नं. 135/22 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/03/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/04/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	208 28/03/22
19/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत पास-पास व सेढा-सेढ आये	

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

हुए हैं। खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व
ढोले स्थापे हुए थे जो वर्तमान के सर्वेक्षण की
वजह से बिगड़ गये हैं जिससे प्रार्थी को
अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं
हो पा रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर
प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य झगड़ा विवाद
रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का
सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशकनी कार्यवाही आव-
श्यक है। इसलिये प्रार्थी का पैमाइशकनी निवेदन
स्वीकार किया जाकर पैमाइशकनी आदेश किया
जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर
प्रार्थी का पैमाइशकनी निवेदन स्वीकार किया
जाकर तहसीलदार बिड़ा को कमिश्नर पदस-
थित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमि-
श्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है
कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ सहायक
कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की
पैमाइशकनी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर
करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक क...
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 409 दिनांकः– 27/04/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. गजाराम पुत्र धुडाराम वगैरा 04, जाति जाट, निवासी गोदारों की ढाणी, पटवार मण्डल कुम्पलिया, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. मूलाराम पुत्र नेनाराम वगैरा 56, जाति जाट, निवासी चिमोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल कुम्पलिया, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 135 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – गोदारो की ढाणी, पटवार मण्डल – कुम्पलिया, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 185 रकबा 34.1554 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 27/04/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 410 - 414

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कुम्पलिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गजाराम पुत्र धुडाराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री मूलाराम पुत्र नेनाराम वगैरा 56,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु